संख्या–5 / RL–40–244 / 2023 श्र0सं0....

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

प्रेषक,

राजीव रंजन,
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक –

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2026–27 में श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत श्रम प्रशासन सुदृढ़ीकरण योजना के अन्तर्गत कुल 548 श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों के प्रयोजनार्थ भाड़े पर वाहन रखने तथा प्रत्येक प्रखण्डों (कुल 534) में बेल्ट्रॉन के माध्यम से एक–एक डाटा इन्ट्री ऑपरेटर की सेवाएँ प्राप्त करने तथा इस योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल अनुमानित वार्षिक व्यय ₹ 4000.00 लाख (चालीस करोड़) मात्र के लागत पर अवधि विस्तार एवं व्यय स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत कुल 548 श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों के प्रयोजनार्थ भाड़े पर वाहन रखने तथा प्रत्येक प्रखण्डों (कुल 534) में बेल्ट्रॉन के माध्यम से एक–एक डाटा इन्ट्री ऑपरेटर की सेवाएँ प्राप्त करने के संबंध में श्रम प्रशासन सुदृढ़ीकरण योजना दिनांक 12.07.2024 को मंत्रिपरिषद् की हुई बैठक में मद संख्या–23 के रूप में एक वर्ष के लिए स्वीकृत है. जो विभागीय संकल्प सख्या–3885 दिनांक – 22.07.2024 द्वारा निर्गत है। इस योजना का समय–समय पर अवधि विस्तार किया गया है तथा वर्तमान में विभागीय पत्रांक–1909, दिनांक–09.04.2025 एवं शुद्धि पत्रांक–1922, दिनांक–09.04.2025 द्वारा 31 मार्च 2026 तक विस्तारित है।

2. **श्रम प्रशासन सुदृढ़ीकरण योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 में प्रावधानित राशि :–** वित्तीय वर्ष 2026–27 में श्रम प्रशासन सुदृढ़ीकरण योजना के अन्तर्गत कुल प्रावधानित राशि ₹4000.00 लाख (चालीस करोड़) है, जो मुख्य शीर्ष–2230–श्रम, रोजगार और कौशल विकास –उप मुख्य शीर्ष–01–श्रम–लघु शीर्ष–101– औद्योगिक संबंध–मांग संख्या–26–उपशीर्ष–0110–श्रम प्रशासन सुदृढ़ीकरण योजना विपत्र कोड 26–2230 –01–101–0110 के निम्न ईकाईयों से विकलनीय होगा :–

विषय शीर्ष	बजट उपबंध (₹)
13.10 भाड़े की गाड़ी का भुगतान	23,00,00,000
28.02 संविदा सेवाएँ	17,00,00,000
योग-26-2230.01.101.0110- श्रम प्रशासन सुदृढ़ीकरण योजना	**40,00,00,000**

3. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प सं०–12888 / वि०, दिनांक–03.12.2024 एवं वित्त विभागीय पत्रांक–201, दिनांक–13.03.2025 में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है। यह चालू योजना है। इस योजना का वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए अवधि विस्तार किया जाता है।

4. वित्तीय वर्ष 2025–26 में वित्त विभाग, बिहार सरकार, का संकल्प संख्या–12888/वि० दिनांक–03.12.2024 के आलोक में इस योजना का अवधि विस्तार एवं व्यय की स्वीकृति विभागीय पत्रांक–1909, दिनांक–09.04.2025 एवं शुद्धि पत्रांक–1922, दिनांक–09.04.2025 द्वारा किया गया था।
5. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक (कृ०श्र०) निदेशालय/सभी संबंधित उप श्रमायुक्त/सभी संबंधित सहायक श्रमायुक्त/सभी संबंधित श्रम अधीक्षक/श्रमायुक्त के सचिव, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी श्रमायुक्त, बिहार होंगे ।
6. इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार/विकास भवन कोषागार, पटना/सिंचाई भवन कोषागार, पटना से होगी।
7. प्रस्ताव पर आन्तरिक वित्तीय सलाहाकार की सहमति प्राप्त है।
8. प्रस्ताव पर सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।
9. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह०/–
(राजीव रंजन)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः– 5/RL–40–244/2023 श्र०सं०– 2608 **पटना, दिनांक–**12/5/26

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, वित विभाग, बिहार, पटना/सचिव के सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग/कार्यकारी निदेशक, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना /कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, पटना/सभी जिला कोषागार/ सिचाई भवन, कोषागार /श्रमायुक्त के सचिव, पटना /प्रशाखा–02(सरकार पक्ष)/लेखा शाखा (श्रम पक्ष) एवं आई.टी. मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

12-5-26
(राजीव रंजन)
संयुक्त सचिव।